Phone & Fax 0135-2658294, E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय—वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

International Year of Cooperatives 2025

पत्रांकः—3872 / 12—1 दिनांक 28 जून, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट क्रालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :— **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमी० 57 के टी02 (ओ० डी० आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग 7.600 किमी० के निर्माण हेतु 5.659 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no- FP / UK / ROAD / 11141 / 2015)**

सन्दर्भ :— **आपका पत्रांक—1808 / 12—1 दिनांक—04.12.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन ने अपने कार्यालय पत्रांक— 1873 / 12—1 दिनांक— 23 / 06 / 2025 द्वारा अवगत कराया है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.10.2019 को प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में 05 वर्षों से अधिक का समय हो जाने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार संशोधित एन०पी०वी० रू0— 25,34,383.00 (पच्चीस लाख चौतीस हजार तीन सौ तिरासी मात्र) की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा कोष में जमा करवा दी गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा पुष्टि हेतु Online Challan एवं Parivesh Portal की छायाप्रति संलग्न की गई है। **(संलग्नक—01)**

सैद्धन्तिक स्वीकृति की शर्त सं0—01— *क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को आरक्षित / संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किये जाने से* सम्बन्धित उत्तराख्ण्ड शासन वन अनुभाग—03 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1449 / X—3—21 / 1(130) / 2016 दिनांक—26.10.2021 की प्रति इस कार्यालय पत्रांक 1604 / 12—1 दिनांक 09.12.2024 से आपको पूर्व ही प्रेषित की जा चुकी है, इस अधिसूचना की एक छायाप्रति पुनः संलग्न है। **(संलग्नक—02)**

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक : 3872 / 12—1 ,तदि्दनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी भूमि सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन को उनके पत्रांक— 1873 / 12—1 दिनांक— 23 / 06 / 2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

o/c

Tel/ Fax:- 01386-263144 e-mail:- dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः–1073/ 12-1 दिनांक, लैन्सडौन 23/06/ 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमी० 57 के टी02 (ओ ० डी० आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग 7.600 किमी० के निर्माण हेतु 5.659 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal no. FP/UK/ROAD/11141/2015)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8 बी/यू.सी.बी./06/87/2016/एफ.सी. /338 दिनांक 06.06.2024, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1808/12–1 देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 एवं आपका पत्रांक 1029/12–1 दिनांक, लैन्सडौन, 27/01/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा प्रदान सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.10.2019 को प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में 5 वर्षों से अधिक समय हो जाने के कारण संशोधित एन0पी0वी0 जमा की जानी अनिवार्य है। उक्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2534383.00 (पच्चीस लाख चौतिस हजार तीन सौ तिरासी) वन विभाग के पक्ष में जमा करवा दिया गया है। **(संलग्न ऑनलाईन परिवेश पोर्टल की छायाप्रति व चालन की छायाप्रति।**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय (उत्तर–केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को विधिवत स्वीकृति से पूर्व वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 के पत्रांक– 1449/X–3–21 /1(130)/2016 दिनांक–26.10.2021 की प्रति संलग्न की जा रही **(संलग्नः– अधिसूचना की छायाप्रति।)**

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर उच्चधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
(हस्ताक्षर)
(स्पर्श काला)
प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांक 1073 / 12-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई–सिचांई खण्ड कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(स्पर्श काला)
प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Phone : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.co

पंत्राक :– 484 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 /दिनांक 16/06/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि वनसंरक्षण वन प्रभाग,
लैन्सडौन,

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमी० 57 के टी02 (ओ ० डी० आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग 7.600 किमी० के निर्माण हेतु 5.659 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/11141/2015)

सन्दर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8 बी/यू. सी.बी./06/87/2016/एफ.सी. /338 दिनांक 06.06.2024, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1808/12–1 देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 एवं आपका पत्रांक 1029/12–1 दिनांक, लैन्सडौन, 27/01/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि –

1. प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 17.12.2018 को प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में 5 वर्षों से अधिक समय हो जाने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित एन०पी०वी० की धनराशि रू0 2534383.00 (पच्चीस लाख चौतिस हजार तीन सौ तिरासी) Uttarakhand CAMPA में जमा करवा दी गई है।
   (संलग्न ऑनलाईन परिवेश पोर्टल की छायाप्रति व चालान की छायाप्रति।

2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/1961 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित / संरक्षित यन के रूप में अधिसूचित उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 के पत्रांक– 1449/X–3–21 /1(130)/2016 दिनांक–26.10.2021 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

पंत्राक :– / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

OTHER-3

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.coi

पंत्राक :– / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 /दिनांक 18/06/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि वनसंरक्षण वन प्रभाग,
लैन्सडौन,

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमी० 57 के टी02 (ओ ० डी० आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग 7.600 किमी० के निर्माण हेतु 5.659 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/11141/2015)

सन्दर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8 बी/यू. सी.बी./06/87/2016/एफ.सी. /338 दिनांक 06.06.2024, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1808/12–1 देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 एवं आपका पत्रांक 1029/12–1 दिनांक, लैन्सडौन, 27/01/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि –

1. प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 17.12.2018 को प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में 5 वर्षों से अधिक समय हो जाने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित एन०पी०वी० की धनराशि रू0 2534383.00 (पच्चीस लाख चौतिस हजार तीन सौ तिरासी) Uttarakhand CAMPA में जमा करवा दी गई है।
(संलग्न ऑनलाईन परिवेश पोर्टल की छायाप्रति व चालान की छायाप्रति।

2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/1961 दिनांक 17.12.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित / संरक्षित यन के रूप में अधिसूचित उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 के पत्रांक– 1449/X–3–21 /1(130)/2016 दिनांक–26.10.2021 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिचांई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

पंत्राक :– 484 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिचांई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

OTHER-3

ICICI Bank

Application for Funds Transfer through RTGS / NEFT

☐RTGS☐NEFT (Select RTGS or NEFT as remittance type)

आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से फंड्स ट्रांसफर के लिए आवेदन

☐आरटीजीएस ☐ एनईएफटी (आरटीजीएस या एनईएफटी चुनें)

To,

The Branch Manger/ शाखा प्रबंधक

Jakhan Branch/ शाखा

Date/तारीख: 0 3 0 6 2 0 2 5

Dear Sir/ प्रिय महोदय,

Please remit through NEFT/ RTGS a sum of ₹ 2534383-00 (Rupees in words) Twenty five lac Thirty four Thousand three only as per details give below:

कृपया नीचे दिए गये विवरण के अनुसार ₹ Hundred Eighty Three (शब्दों में ₹) only

केवल प्रेषित करें

☐ Cash (only for NEFT)/नकद (केवल एनईएफटी के लिए)* ☐ Cheque/चेक ☐ Debit of my/our account (only for NEFT) / मेरा/हमारा खाता डेबिट करें (केवल एनईएफटी के लिए)

*In case of cash please fill in the pay-in-slip / कृपया नकदी विवरण पे-इन-स्लिप में भरें

*To be filled by the Applicant in CAPITAL LETTERS/कृपया केपिटल लेटर्स में भरें

DETAILS OF APPLICANT (REMITTER)आवेदक / प्रेषक का विवरण

Account Number/खाता संख्या: 385907000510

Cheque Number/ चेक नंबर: 004674

Cheque Date/ चेक की तारीख: 03062025

Remitter's Name/ आवेदक का नाम: CHIEF/ENGINEER/URAD/ACTATE

Address/पता: FUND/ACCOUNT

Mobile / Other Number/ मोबाइल / अन्य नंबर:

DETAILS OF BENEFICIARY/लाभार्थी का विवरण

Beneficiary's Name/ लाभार्थी का नाम: UTTARANCHAL/CAMPA

Account Number/ लाभार्थी का खाता संख्या: 150089611906778/

Bank Name/ लाभार्थी के बैंक का नाम: UNION/BANK/OF/INDIA

IFSC Code (11-digit)/ आईएफएससी कोड (11 अंक): UBIN0996325

Branch Address/ शाखा का पता: MISSION ROAD BENGALURU

Confirm Account Number Again/कृपया पुन: खाता नंबर लिखें: 150089611906778/

Remarks (if any)/ टिप्पणी (यदि हो):

PURPOSE CODE FOR RTGS/आरटीजीएस के लिए प्रयोजन कूट

	CASH	Cash Management Transfer/ नकद प्रबंधन हस्तांतरण	INTE	Interest/ब्याज	SUPP	Supplier Payment / प्रदायक भुगतान
	CORT	Trade Settlement Payment/ व्यापार निपटान भुगतान	LOAN	Loan / ऋण	TAXS	Tax Payment/ कर भुगतान
	DIVI	Dividend/लाभांश	PENS	Pension Payment/ पेंशन भुगतान	TRAD	Trade /व्यापार
	GOVT	Government Payment / सरकारी भुगतान	SALA	Salary Payment/ वेतन भुगतान	TREA	Treasury Payment/ट्रेजरी भुगतान
	HEDG	Hedging/हेजिंग	SECU	Securities / प्रतिभूति	VATX	Value Added Tax Payment/ मूल्य वर्धित कर भुगतान
	INTC	Intra Company Payment/ इंट्रा कंपनी भुगतान	SSBE	Social Security Benefit/ सामाजिक सुरक्षा लाभ	WHLD	With Holding/रोक

ICICI Bank Limited Jakhan Branch Dehradun

अधिशासी अभियन्ता
यू.आर.आर.डी.ए.
देहरादून
03/06/25

forestsclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

11:41:30 AM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11141/2015 T02 (ODR) to Manjokhi MR	ROAD11:412015213	6111141213	17 Dec 2018	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2534383/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2534383/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Feb 2025 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :15 Feb 2025 Transaction Date :04 Jun 2025	Demand Letter Generated Challan

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– ——/X-3-21/1(130)/2016
देहरादून: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ **सिंचाई खण्ड द्वारा लैन्सडौन के अन्तर्गत के0 टी02(ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु** हस्तान्तरित 5.659 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 11.318 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या/ खसरा संख्या	अर्जित रकवा (है0 में)	भूमि का किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पौड़ी गढ़वाल	मंजोखी	–	157, 3317, 3337 एवं 0.524	11.318	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड0)

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या:– 1549 /X-3-21/1(130)/2016,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन/लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार।
6. उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............/.............. Dehradun, dated.................... for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section-03
File No. 1449 /X-3-21/1(130)2016
Dehradun : Date :-26 October, 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 11.318 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Pauri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 5.659 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of **Construction of road from K.T. 2 (O.D.R) to Manjokhi in Lansdown** Motor Road under in District Pauri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Patti	Khata Number/ Khasara Number	Total area acquired (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Pauri Garhwal**	Manjokhi	-	157, 3317, 3337 or 0.524	**11.318**	Uttarakhand Government Category-9(3)(d)

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

Copy- Sent to the following for information and action.

1. Principal Chief-Conservator of Forests (HOFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Chief Conservator of Forests Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Garhwal Mandal, Uttarakhand, Pauri.
5. District Magistrate, Pauri Garhwal.
6. Divisional Forest Officer, Soil Conservation Division, Lansdown.
7. Sub- Divisional Magistrate, Lansdown .
8. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section-(B) part-4 of the general Gazette..
9. NIC, Secretariat campus.
10. Guard File.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

Scanned with OKEN Scanner